न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 66/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/189

वादी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमति विशन्ती पत्नि हुकमाराम जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जगदीश पुत्र रामाराम 2.रामचन्द्र पुत्र रामाराम 3.अशोक पुत्र रामाराम 4.अलकाराम पुत्र रामाराम 5.सुन्दरदेवी पत्नि रामाराम 6.रेशमी पत्नि बालाराम 7.मुकेश पुत्र बालाराम 8.विनोद पुत्र बालाराम 9.सिवाराम उर्फ सविया पुत्र जीवाराम 10.हकीया पुत्र जीवाराम 11.बुदीया पुत्र जीवाराम 12.बाबुड़ा पुत्र जीवाराम 13.केवलिया पुत्र शंकरिया जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता वादीनी

2.प्रतिवादी एकतरफा

यक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक– 28.11.2025

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 65 क्षेत्रफल 12.4567 हैक्टयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वाद दिनांक 23.6.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। वादीनी अधिवक्ता माफिक विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अंतिम डिक्री जारी करवाने पर सहमत है। तदनुसार माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मंडापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 65 रकबा 49.05 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.स.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	बरंग
1.	श्रीमति विशन्ती पत्नि हुकमाराम जाति भील सा. पचपदरा	मंडापुरा	65	3.1142	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार
2	सिवाराम,हकीया,बुदीया,बाबुड़ा पि.जीवाराम,केवलिया पुत्र शंकरिया जाति भील सा. पचपदरा	मंडापुरा	65	9.3425	बा.दो.	नक्शे मे दर्शितानुसार

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा
28/11/2025

मूलवाद में अंतिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 66/2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2021/189

वादीनी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीमति विशन्ती पत्नि हुकमाराम जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जगदीश पुत्र रामाराम 2.रामचन्द्र पुत्र रामाराम 3.अशोक पुत्र रामाराम 4.अलकाराम पुत्र रामाराम 5.सुन्दरदेवी पत्नि रामाराम 6.रेशमी पत्नि बालाराम 7.मुकेश पुत्र बालाराम 8.विनोद पुत्र बालाराम 9.सिवाराम उर्फ सविया पुत्र जीवाराम 10.हकीया पुत्र जीवाराम 11.बुदीया पुत्र जीवाराम 12.बाबुड़ा पुत्र जीवाराम 13.केवलिया पुत्र शंकरिया जाति भील निवासी मंडापुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 14.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धाराः—88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :66/2021

निर्णय दिनांक :— 28.11.2025

वादीनी की ओर से श्री रूगाराम कड़वासरा अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 28.11.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः—वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 28.11.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 28.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ———	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ———
जोड़	———	जोड़	———

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा